

पत्रांक— २५६। / मुजफ्फरनगर, दिनांक, लखनऊ, मार्च ०५, २०१८

सेवा में,

वन संरक्षक,(नाम से)
सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

विषय : मुजफ्फरनगर में उ०प्र० पावर ट्रॉसमिशन लि० द्वारा 132 के०वी० मुजफ्फरनगर—जानसठ लीलो भोपा (भोकरेहडी) पारेषण लाइन के निर्माण हेतु ०.१९४४ हेठ० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवास्थित १२ बाधक वृक्षों कि पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक—२९५२ / १४—१०, दिनांक २०.०२.२०१८

महोदय,

विषयक प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें विसंगतिपूर्ण हैं, जो निम्न प्रकार हैं :—

- १— संरक्षित वनभूमि घोषित किये जाने का गजट प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित नहीं है।
- २— प्रस्ताव के साथ प्रभावित वनभूमि के दुगुने क्षेत्रफल में रोपण व अनुरक्षण का प्राक्कलन संलग्न किया गया है। परियोजना में प्रभावित वनभूमि का क्षेत्रफल एक हेठ० से कम है। अतः प्रभावित वृक्षों के १० गुने पौधों के रोपण व १० वर्षों के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न करायें तथा तदनुसार संशोधित प्राक्कलन ऑनलाइन पार्ट—२ पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
- ३— वनाधिकार अधिनियम २००६ के अन्तर्गत जिलाधिकारी का मूल प्रमाण—पत्र न संलग्न कर सत्यापित छायाप्रति संलग्न की गयी है, जो भारत सरकार द्वारा स्वीकार्य नहीं की जाती। अतः मूल प्रमाण—पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न कराने का कष्ट करें।
- ४— पृष्ठ—४९ पर संलग्न डिजिटल मैप में प्रभावित वनभूमि की श्रेणी आरक्षित वनभूमि अंकित है, जबकि ऑनलाइन पार्ट—२ पर प्रभावित समस्त वनभूमि की श्रेणी संरक्षित वनभूमि अंकित है। इस विसंगति को स्पष्ट करते हुए संशोधित कर ऑनलाइन अपलोड करें व प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
- ५— प्रस्ताव के साथ संलग्न पावर आफ अटार्नी में अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं है। संशोधित पावर आफ अटार्नी ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
- ६— प्रस्ताव के पृष्ठ—१४ पर संलग्न जस्टीफिकेशन नोट में प्रभावित वनभूमि की श्रेणी आरक्षित वनभूमि अंकित है, जबकि ऑनलाइन पार्ट—२ पर प्रभावित समस्त वनभूमि की श्रेणी संरक्षित वनभूमि अंकित है। इस विसंगति को स्पष्ट करते हुए संशोधित कर ऑनलाइन अपलोड करें व प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
- ७— प्रस्ताव के पृष्ठ—५८ व ५९ पर संलग्न अभिलेख पृष्ठ—२२ व २३ पर संलग्न किये जा चुके हैं, इसे प्रस्ताव से पृथक् कराने का कष्ट करें।
- ८— प्रस्ताव के पृष्ठ—५४ पर प्रदर्शित क्रासिंग में प्रभावित वनभूमि की श्रेणी आरक्षित वनभूमि अंकित है, जबकि ऑनलाइन पार्ट—२ पर प्रभावित समस्त वनभूमि की श्रेणी संरक्षित वनभूमि अंकित है। इस विसंगति को स्पष्ट करते हुए संशोधित कर ऑनलाइन अपलोड करें व प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियों इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं सूचनाओं को ऑनलाइन व आफलाइन पूर्ण कर तदनुसार विषय—सूची को संशोधित कर प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८०
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक— २५६। / उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, साठवा०प्रभाग, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ एवं तत्काल उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रॉसमिशन कार्पो० लि०, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ एवं तत्काल उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८०
उ०प्र०, लखनऊ।